भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 5

सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

'आशा' कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ

†*5. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 'आशा' कार्यकर्ताओं को मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत औपचारिक कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और मातृत्व अवकाश जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को असंगठित क्षेत्र के कामगारों की श्रेणी में शामिल करने की व्यवहार्यता की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का आशा, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के लिए एक समान वेतन और संरक्षा की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

" 'आशा' कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ" के संबंध में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिनांक 01.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 5 * के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क) से (ग): "श्रम" भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है। संहिता के उपबंधों के तहत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में समुचित सरकार के रूप में अधिकार प्राप्त हैं।

आशा कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य वॉलन्टियर हैं तथा वे कार्य/गतिविधि आधारित प्रोत्साहन की हकदार होती हैं। नेमी कार्यों और बार-बार किए जाने वाले कार्यों के लिए उन्हें प्रत्येक माह 3500/- रूपए का नियत मासिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत अलग-अलग तरह की गतिविधियों के लिए कार्यनिष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं को पात्रता मानदडों के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है। इसके साथ ही, आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रूपए का वार्षिक हेल्थ केयर कवरेज भी प्रदान किया जाता है।

आशा कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करने तथा सार्वजनिक हेल्थकेयर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का मुख्य उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर और समग्र संसाधन आवंटन के भीतर, उनकी सार्वजनिक हेल्थकेयर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

****